भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4625

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना

4625. श्री के.ई. प्रकाश:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लाभार्थियों तक पहुंच, आवेदन प्रक्रिया समय और ऋण प्रदान करने में सुधार के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और उनका क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): पीएमईजीपी के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों तक पहुंच, आवेदन प्रक्रिया समय और ऋण प्रवाह में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पीएमईजीपी के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो उच्च सब्सिडी दर और परियोजना लागत में स्वयं के कम अंशदान के पात्र हैं। इसके परिणामस्वरूप, कुल इकाइयों में से 80% को ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्रदान की गई है।
ii. पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।
iii. जनवरी, 2024 से हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर 11 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात गुजराती, मलयालम, पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, मराठी, तमिल, असमिया, कन्नड़, उड़िया और तेलुगु में वास्तविक रूप में लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच में सुधार हो सके।
iv. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।
v. परियोजना प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं और उन्हें पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।
vi. स्कीम के अंतर्गत पशुपालन के अंतर्गत डेयरी, मुर्गीपालन, जलीय कृषि, कीट (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि) जैसे अधिक क्रियाकलापों को अनुमति देने के लिए निषिद्ध सूची को आशोधित किया गया है।
vii. लाभार्थियों को ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 10 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर न दें।
viii. दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए आवेदन से लेकर लाभार्थी के ऋण खाते में एमएम सब्सिडी के समायोजन तक की पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक विशेष पोर्टल।
ix. बिना किसी देरी के ऋणों की उचित संस्वीकृति और मार्जिन मनी का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर बैंकर समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।
x. आवेदन चरण के दौरान भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों एवं सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
xi. स्कीम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य केवीआईबी, राज्य डीआईसी और वित्तीय संस्थानों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें।

*****